न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2016-00012 RAAJodhpur2016-61RTA223 Premsukh ors Vs Budilal etc

1. प्रेमसुख पुत्र श्री भुराराम
2. बद्रीलाल पुत्र श्री मोहनलाल
   जातियान् पालीवाल, निवासी- डोली नेरवा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. बुदीलाल पुत्र श्री हरचंद
2. लिखमीचंद पुत्र श्री हरचंद
   जातियान् पालीवाल, निवासीगण- डोली नेरवा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर औसियां द्वारा दिनांक 31 मई 2016 राजस्व मूल वाद संख्या 80/2014 प्रेमसुख बनाम बुदीलाल इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता अपीलांट्स

रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 08 फरवरी 2024

अपीलांट्स ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 80/2014 अनवान प्रेमसिंह व अन्य बनाम बुदीलाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 मई 2016 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 27 जुलाई 2016 को पेश की गयी है।

08.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने एक वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1 रकबा 77 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 2 रकबा 04 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 11 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 25 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 27 रकबा 28 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 29 रकबा 09 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 34 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा, ग्राम डोली नेरवा तहसील तिंवरी के संबंध में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31 मई 2016 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वाद खारिज कर दिया गया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय में वाद प्रतिवादीगण की तामील के इंतजार में था तथा इसके बाद वादीगण की शहादत दर्ज की जाकर वाद का निर्णय किया जाना था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने लंबित वाद को मनमाने ढंग से कैम्प कोर्ट में ले जाकर फैसला कर दिया। विचारण न्यायालय ने वादीगण को अपने वाद की पुष्टि में शहादत पेश करने का कोई अवसर हीं नही दिया एवं बिना शहादत के ही पत्रावली को कैम्प कोर्ट में ले जाकर निर्णित कर दिया, जबकि कानूनन ऐसा नहीं किया जा सकता था। यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही कर दिये जाने के पश्चात वादीगण के वाद में वर्णित अखण्डित वाद कथनों के आधार पर वादी का दावा डिक्री किया जाना चाहिए था, परन्तु उस वाद को मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया। वादी संख्या एक को कैम्प कोर्ट तिंवरी बुलाया गया एवं वहां पर खाली कागज पर वादी का अंगुष्ट निशान करवाकर उसे जाने के लिए कह दिया एवं बाद में

08.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मनमाने ढंग से फैसला लिखते हुए ऑर्डर शीट लिख कर दावे को खारिज कर दिया। राजस्व शिविरों में जिन मामलो का निस्तारण किये जाने के दिशा निर्देश थे, उनके अनुसार तो न्यायालयों में लंबित वाद को किसी भी सूरत में शिविर में ले जाकर निर्णित नहीं किया जा सकता था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मुकदमा निस्तारण का आंकड़ा राज्य सरकार को प्रेषित करने के उद्धेश्य से दावे का निर्णय कर दिया।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31 मई 2016 को निरस्त किये जावे एवं वादीगण का वाद माफिक अनुतोष डिक्री किया जावे।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने के पश्चात पत्रावली विचारण न्यायालय में वादीगण की साक्ष्य में विचाराधीन चल रही थी। विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत वादीगण से साक्ष्य लिये बिना तथा पत्रावली को लोक अदालत में रखे जाने बाबत सूचना/सम्मन पक्षकारान्/वादीगण को दिये बिना ही आलौच्य निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत नहीं होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

08.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 80/2014 अनवान प्रेमसिंह व अन्य बनाम बुदीलाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 मई 2016 खारिज किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में प्रतिवादीगण से जवाब लेकर दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम कर उस पर उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03.2.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर